न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 84/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।		01.शंकरलाल पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जोधपुंर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा बाबत

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

02.अप्रार्थी की ओर से सुचना के बावजूद कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक 12/9/2023

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालावास क वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे खसरा नम्बर 220 रकबा 1.6106 हैक्टर भूमि किस्म चाही तृतीय सह खातेदार शंकरलाल पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी सालावास जोधपुर के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज है जबकि पटवारी हल्का सालावास ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे अवगत करवाया है कि उक्त खसरे मे सह खातेदार के पुत्र गणपतराम द्वारा अपने पिताजी के हिस्से की भूमि जो खसरा नम्बर 220 मे कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है वक्त निरीक्षक मौके पर 10 पानी की होदिया 03 अडाण 01 ट्यूबवेल पाया गया। वक्त निरीक्षक टेक्सटाईल संबंधी गातिविधियां बंद पायी गयी। उक्त भूमि का उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये अकृषिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि सिवायचक योग्य होने से सिवायचक दर्ज करने हेतु तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 220 रकबा 1.6106 हैक्टर भूमि मे से अप्रार्थी की 1/5 हिस्सा की भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जावे व उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी द्वारा कार्यालय मे पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सुचना होने के बावजूद अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे आई गई। इस ही प्रकरण मे तहसीलदार लूणी एक ओर प्रकरण इस खसरे सम्बन्धी प्रकरण पेश किया गया जिसके पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/408 दिनांक 04.09.2023 को पेश किया गया प्रकरण शमिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो को दोहराते हुवे कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र मे ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 220 रकबा 1.6106 हैक्टर मे 1/5 हिस्से मे अप्रार्थी शकरलाल पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी सालावास के पुत्र गणपतराम के द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है वक्त निरीक्षक मौके पर 10 पानी की होदिया 03 अडाण 01 ट्यूबवेल पाया गया। उक्त भूमि का उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये अकृषिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि सिवायचक योग्य होने से सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 220 रकबा 1.6106 हैक्टर मे 1/5 हिस्से मे अप्रार्थी शकरलाल पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी सालावास के पुत्र गणपतराम के द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है मौके पर बनाई हुई 10 पानी की होदिया 03 अडाण 01 ट्यूबवेल पाया गया को मौके से हटाया जावे तथा उक्त 1/5 हिस्से की भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।

(पुखराज कांसोटिया आर,ए,एस)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी